Conduct of election rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

FORM 21C (See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to Legislative Assembly of Rajasthan State from (01) Sadulshahar Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that-

Shri Jagdish Chander (Name)

Ward No. 3 Near Railway Fatak Sadulshahar District Ganganagar (Address)

sponsored by **Indian National Congress** (name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: - Sri Ganganagar

Date :- 11/12/2018

विध्(Vashpal Ahuja) । (एसस्क्रीमांकोट्ट शिल्ड विकर्

Sadulshahar (01)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप - 21 ग

(नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

(01) सादुलशहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचकों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट उपबंधों में :--

मैं घोषणा करती हूं कि :--

श्री जगदीश चन्द्र (नाम),

वार्ड नं. 3 नजदीक रेलवे फाटक सादुलशहर जिला गंगानगर (पता),

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (पंजीकृत/मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का नाम) के द्वारा खडे किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान— श्रीगंगानगर तारीख— 11.12.2018

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सादुलशहर-01